न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00586

1. रामकल्याण
2. मांगीलाल
3. रामचन्द्र
4. रामकिशन
5. शांति बाई पिसरान स्व0 सूरज्या जाति धाकड निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. कान्ति बाई पुत्री सुरज्या (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   6/1. भरत
   6/2. राजेन्द्र
   6/3. महावीर
   6/4. निर्मला पिसरान स्व0 रामकिशन जाति धाकड निवासीगण ग्राम अजापुरा तहसील श्योपुर जिला श्योपुर जिला (मध्यप्रदेश) ।
7. रामकरण आत्मज सुरज्या (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   7/1. बरजी बाई बेवा स्व0 रामकरण जी
   7/2. रमेश
   7/3. बाल मुकुन्द
   7/4. गीता बाई
   7/5. संतोष बाई
   7/6. मोसी बाई पिसरान रामकरण जी निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
8. जगदीश उर्फ भीमा आत्मज स्व0 आनन्दीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
9. कैलाशी बाई पुत्री आनन्दीलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   9/1. शशि प्रकाश
   9/2. सत्यनारायण
   9/3. मेघराज पिसरान स्व0 रामचन्द्र जी जाति धाकड निवासीगण ग्राम अजापुरा तहसील श्योपुर जिला श्योपुर मध्यप्रदेश ।
10. कंचन बाई
11. बिरधी बाई पुत्रियॉ स्व0 आनन्दी लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
12. दुर्गाशंकर आत्मज स्व0 फूलचन्द (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
    12/1. कैलाशी बाई बेवा दुर्गाशंकर जाति धाकड निवासी हरिपुरा ।
    12/2. श्याम
    12/3. लक्ष्मीनारायण
    12/4. ललिता बाई

12/5. दमयन्तिबाई पिसरान स्व0 दुर्गाशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मथुरा लाल आत्मज भैरूलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रामचरण
   1/2. रामकिशन
   1/3. मनोहर बाई पिसरान स्व0 मथुरा लाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. गुलाब चन्द आत्मज कान्हा जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. सत्यनारायण
   2/2. कौशल्या बाई पिसरान स्व0 गुलाब चन्द जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. नन्दकिशोर आत्मज श्री कान्हा जाति धाकड निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. बरजी बाई पुत्री कान्हा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. मुरारी पुत्र बरजी बाई
   4/2. यादव पुत्र बरजी बाई
   4/3. दुर्गाशंकर पुत्र बरजी बाई पिसारान कस्तूरचन्द धाकड निवासी ग्राम गमलाना तहसील बडौदा जिला श्योपुर मध्यप्रदेश ।
   4/4. कस्तूरचन्द (पति) बरजी बाई आत्मज श्री प्रभूलाल धाकड ।
   4/5. प्रेमबाई
   4/6. निशा बाई
   4/7. भगवती बाई पुत्रियॉ बरजी बाई पत्नी कस्तूरचन्द धाकड निवासीगण ग्रम गमलाना तहसील बडौदा जिला श्योपुर मध्यप्रदेश ।
5. रामकल्याण आत्मज स्व0 नाथूलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   5/1. कान्तिबाई बेवा स्व0 रामकल्याण धाकड निवासी हरिपुरा।
   5/2. सीमा पुत्री रामकल्याण पत्नी राजेन्द्र कुमार धाकड निवासी नरसिंहपुरा तहसील बारां जिला बारां ।
   5/3. मोहन मुरारी आत्मज रामकल्याण धाकड निवासी हरिपुरा ।
   5/4. रिंकी पुत्री रामकल्याण पत्नी निर्मल कुमार धाकड निवासी बहादुरगंज की झौंपडियॉ तहसील अटरू जिला बारां ।
   5/5. नरेश आत्मज रामकल्याण धाकड निवासी हरिपुरा ।
6. देवीशंकर आत्मज नाथूलाल धाकड निवासी ग्राम हरिपुरा ।
7. अनोख बाई पुत्री बजरंग लाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा ।
8. राधेश्याम आत्मज कन्हैया लाल धाकड निवासी हरिपुरा ।
9. मुरलीधर आत्मज कन्हैया लाल (मृतक) कायममुकामान :–
   9/1. दुलखां बाई पत्नी मुरलीधर
   9/2. राजेन्द्र

9/3. राजेन्द्र पिसारान मुरलीधर जाति धाकड निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
9/4. कुन्ति बाई पुत्री मुरलीधर पत्नी हंसराज धाकड निवी ग्रमा रीझींया तहसील मांगरोल जिला बारां ।
10. परमानन्द
11. सत्यनारायण
12. उर्मिला पिसारान कन्हैया लाल जाति धाकड निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
13. बजरंगी पुत्री कन्हैया लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
13/1. भोजराज
13/2. सुनिता पिसारान लक्ष्मीचन्द धाकड नि7वासी भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां ।
13/3. लक्ष्मीचन्द (पति) बजरंगी आत्मज श्री मथुरालाल धाकड निवासी ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां ।
14. बाबूलाल आत्मज श्री कन्हैयालाल धाकड निवासी हरिपुरा ।
15. भूली बाई बेवा कन्हैया लाल धाकड निवासी हरिपुरा ।
16. शिवजी
17. ध्रुव
18. रमेश
19. राम
20. गिरिराज
21. भ्रगु
22. द्रोपदी
23. कमली उर्फ रम्मो
24. कैकई
25. रामा उर्फ सीमा पिसारान श्री कृष्ण चन्द जाति धाकड निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
26. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।
27. सरकार जरिये सीएडी केचमेंन्ट लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2017/00587

1. रामकल्याण
2. मांगीलाल
3. रामचन्द्र
4. रामकिशन
5. शांति बाई पिसरान स्व0 सूरज्या जाति धाकड निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. कान्ति बाई पुत्री सुरज्या (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
6/1. भरत
6/2. राजेन्द्र

6/3. महावीर
6/4. निर्मला पिसरान स्व0 रामकिशन जाति धाकड निवासीगण ग्राम अजापुरा तहसील श्योपुर जिला श्योपुर जिला (मध्यप्रदेश) ।

7. रामकरण आत्मज सुरज्या (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
7/1. बरजी बाई बेवा स्व0 रामकरण जी
7/2. रमेश
7/3. बाल मुकुन्द
7/4. गीता बाई
7/5. संतोष बाई
7/6. मोसी बाई पिसरान रामकरण जी निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

8. जगदीश उर्फ भीमा आत्मज स्व0 आनन्दीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

9. कैलाशी बाई पुत्री आनन्दीलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
9/1. शशि प्रकाश
9/2. सत्यनारायण
9/3. मेघराज पिसरान स्व0 रामचन्द्र जी जाति धाकड निवासीगण ग्राम अजापुरा तहसील श्योपुर जिला श्योपुर मध्यप्रदेश ।

10. कंचन बाई

11. बिरधी बाई पुत्रियॉ स्व0 आनन्दी लाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

12. दुर्गाशंकर आत्मज स्व0 फूलचन्द (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
12/1. कैलाशी बाई बेवा दुर्गाशंकर जाति धाकड निवासी हरिपुरा ।
12/2. श्याम
12/3. लक्ष्मीनारायण
12/4. ललिता बाई
12/5. दमयन्तिबाई पिसरान स्व0 दुर्गाशंकर जाति धाकड निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मथुरा लाल आत्मज भैरूलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
1/1. रामचरण
1/2. रामकिशन
1/3. मनोहर बाई पिसरान स्व0 मथुरा लाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

2. गुलाब चन्द आत्मज कान्हा जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
2/1. सत्यनारायण
2/2. कौशल्या बाई पिसरान स्व0 गुलाब चन्द जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

3. नन्दकिशोर आत्मज श्री कान्हा जाति धाकड निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. बरजी बाई पुत्री कान्हा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. मुरारी पुत्र बरजी बाई
   4/2. यादव पुत्र बरजी बाई
   4/3. दुर्गाशंकर पुत्र बरजी बाई पिसारान कस्तूरचन्द धाकड निवासी ग्राम गमलाना तहसील बडौदा जिला श्योपुर मध्यप्रदेश ।
   4/4. कस्तूरचन्द (पति) बरजी बाई आत्मज श्री प्रभूलाल धाकड ।
   4/5. प्रेमबाई
   4/6. निशा बाई
   4/7. भगवती बाई पुत्रियॉ बरजी बाई पत्नी कस्तूरचन्द धाकड निवासीगण ग्रम गमलाना तहसील बडौदा जिला श्योपुर मध्यप्रदेश ।
5. रामकल्याण आत्मज स्व0 नाथूलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   5/1. कान्तिबाई बेवा स्व0 रामकल्याण धाकड निवासी हरिपुरा।
   5/2. सीमा पुत्री रामकल्याण पत्नी राजेन्द्र कुमार धाकड निवासी नरसिंहपुरा तहसील बारां जिला बारां ।
   5/3. मोहन मुरारी आत्मज रामकल्याण धाकड निवासी हरिपुरा ।
   5/4. रिंकी पुत्री रामकल्याण पत्नी निर्मल कुमार धाकड निवासी बहादुरगंज की झौंपडियॉ तहसील अटरू जिला बारां ।
   5/5. नरेश आत्मज रामकल्याण धाकड निवासी हरिपुरा ।
6. देवीशंकर आत्मज नाथूलाल धाकड निवासी ग्राम हरिपुरा ।
7. अनोख बाई पुत्री बजरंग लाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा ।
8. राधेश्याम आत्मज कन्हैया लाल धाकड निवासी हरिपुरा ।
9. मुरलीधर आत्मज कन्हैया लाल (मृतक) कायममुकामान :–
   9/1. दुलखां बाई पत्नी मुरलीधर
   9/2. राजेन्द्र
   9/3. राजेन्द्र पिसारान मुरलीधर जाति धाकड निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
   9/4. कुन्ति बाई पुत्री मुरलीधर पत्नी हंसराज धाकड निवी ग्रमा रीझींया तहसील मांगरोल जिला बारां ।
10. परमानन्द
11. सत्यनारायण
12. उर्मिला पिसारान कन्हैया लाल जाति धाकड निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
13. बजरंगी पुत्री कन्हैया लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   13/1. भोजराज
   13/2. सुनिता पिसारान लक्ष्मीचन्द धाकड नि7वासी भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां ।
   13/3. लक्ष्मीचन्द (पति) बजरंगी आत्मज श्री मथुरालाल धाकड निवासी ग्राम भटेडिया तहसील मांगरोल जिला बारां ।
14. बाबूलाल आत्मज श्री कन्हैयालाल धाकड निवासी हरिपुरा ।
15. भूली बाई बेवा कन्हैया लाल धाकड निवासी हरिपुरा ।

16. शिवजी
17. ध्रुव
18. रमेश
19. राम
20. गिरिराज
21. भ्रगु
22. द्रोपदी
23. कमली उर्फ रम्मो
24. कैकई
25. रामा उर्फ सीमा पिसारान श्री कृष्ण चन्द जाति धाकड निवासीगण ग्राम हरिपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
26. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।
27. सरकार जरिये सीएडी केचमेंन्ट लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री कुन्ज बिहारी नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में।

निर्णय

दिनांकः 03.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें व क्रॉस अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.03.2002 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.08.2002 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें व क्रॉस अपील समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा एक अपील प्रारम्भिक डिक्री की तथा दूसरी अपील अंतिम डिक्री के खिलाफ होने से उक्त अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 (मृतक) मथुरा लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील पीपल्दा में वादी व प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 09 के सम्मिलित खाते में खसरा नम्बर 401 की 95 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी तथा प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 4 कान्हा, सुरज्या, आनन्दा एवं दुर्गाशंकर का 1/2 हिस्सा तथा तथा प्रतिवादी क्रम 5 व 6 रामकल्याण एवं देवीशंकर का, प्रतिवादिनी क्रम 07 श्रीमती अनोख बाई के स्व0 पिता श्री बजरंग लाल का एवं प्रतिवादी क्रम 8 व 9 कन्हैया लाल एवं श्री कृष्ण चन्द्र का 1/2 हिस्सा था एवं सभी सहखातेदारान का

हिसस बराबर था । इस प्रकार इस भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का 1/10 हिस्सा था । सेटलमेंट अधिकारियों ने अवैधानिक रूप से एवं बिना किसी अधिकार के पर्चा सेटलमेंट एवं जमाबन्दी से वादी का नाम भी हटा दिया है जबकि पूर्व इन्द्राज के मुताबिक वादी का नाम भी पूर्ववत राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना चाहिए था । तत्पश्चात् संशोधित वादपत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम हरिपुरा में वादी के पिता के खाते में कुल 09 किता की 89 बीघा 11 बिस्वा आराजी दर्ज है उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । उक्त आराजी में वादी का 1/5 हिस्सा निहित है ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी में वादी को 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती फरमाई जावे तथा सभी सहखातेदारान को 1/10 –1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । वादी के 1/10 हिस्से का पृथक खाता एवं पृथक लगान कायम किया जावे तथा वादी को तन्हा कब्जा दिलाया जावे । ग्राम हरिपुरा की आराजी में वादी का 1/5 हिस्सा एवं शेष भूमि 1/5 – 1/5 प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 व 9 के पृथक–पृथक खाते में दर्ज किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.03.2002 के द्वारा वाद वादी स्वीकार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी एवं प्रारम्भिक डिक्री की पालना में निर्णय दिनांक 05.08.2002 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री जारी कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.03.2002 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.08.2002 से व्यथित होकर प्रतिवादी (मृतक) सुरज्या के कायमुकामान एवं आनन्दी लाल के कायममुकामान एवं मृतक दुर्गाशंकर के कायममुकामान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । परीक्षण न्यायालय में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी नहीं की है । इसी प्रकार विभाजन की अंतिम डिक्री में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.03.2002 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.08.2002 निरस्त फरमाये जावें ।

7. दोनों अपीलों में अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.07.2003 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर दिनांक 31.07.2003 नकल प्राप्त कर ये अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट एवं कॉस अपील दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 30.03.2002 को प्रारम्भिक डिक्री और दिनांक 05.08.2002 को अंतिम डिक्री पारित की है । अपीलान्ट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया है । खसरा नम्बर 293 की आराजी आज भी आनन्दी लाल के कब्जे में है । खसरा नम्बर 298/445 की आराजी सूरजमल के हिस्से में आनी चाहिए । 1/10 हिस्से के हिसाब से प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से में 29 बीघा आराजी आनी चाहिए जबकि अपीलान्ट के हिस्से में 25 बीघा 10 बिस्वा आराजी आई है । कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार भैरूलाल और कालूलाल थे । भैरूलाल के 05 पुत्र और कालूलाल के 03 पुत्र नाथू, कृष्णचन्द और कान्हा हुए । तद्नुसार नाथूलाल के समस्त वारिसान का 1/6 हिस्सा बनता है और कृष्णचन्द और कान्हा का 1/6 – 1/6 हिस्सा बनता है जबकि परीक्षण न्यायालय द्वारा नाथूलाल के वारिसान कृष्णचन्द और कान्हा सबका 1/10 – 1/10 हिस्सा निर्धारित किया गया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.03.2002 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.08.2002 निरस्त फरमाये जावें ।

10. अपील संख्या 17/587 में आदेश 41 नियम 22 के तहत क्रॉस आब्जेक्शन कन्हैया लाल के वारिसान के द्वारा पेश किया है और इसमें यह कथन किया गया है कि नाथू, कृष्णचन्द और कन्हैया लाल का 1/2 हिस्सा था तथा इस आराजी में मथुरा लाल के वारिसान का 1/10 हिस्सा, कान्हा के वारिसान का 1/10 हिस्सा सुरज्या के वारिसान का 1/10 हिस्सा कृष्णचन्द के वारिसान का 1/10 हिस्सा, वैद्यनाथ के वारिसान का 1/10 हिस्सा और कालू के वारिसान में नाथूलाल के वारिसान का 1/6 हिस्सा कन्हैयालाल के वारिसान का 1/6 हिस्सा और किशन के वारिसान का 1/6 हिस्सा बनता है । परीक्षण न्यायालय ने नाथूलाल के वारिसान को 3/10 दे दिया । कन्हैया लाल और कृष्णचन्द के वारिसान को 1/10 – 1/10 हिस्सा दे दिया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः क्रॉस आब्जेक्शन अपील स्वीकार फरमायी जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट कम 5/1 लगायत 25 के विद्वान् अभिभाषक ने दोनों अपीलें स्वीकार करने में अपनी अनापत्ति व्यक्त की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम दोनों अपीलों में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2024–27 प्रदर्श– 1, नकल जमाबन्दी ग्राम लक्ष्मीपुरा प्रदर्श– 2 नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नोटिस की प्रति प्रदर्श–4, डाक विभाग की रसीद प्रदर्श– 5 व 6 पेश किये हैं । संशोधित वादपत्र में ग्राम हरिपुरा की आराजी में 1/5 हिस्से की प्रार्थना की है ।

14. पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2055–58 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियॉ नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2018–21 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति और नकल जमाबन्दी ग्राम लक्ष्मीपुरा संवत् 2004 जिसमें नाथू, कान्हा, कृष्ण

चन्द बेटे कालू हिस्सा 1/2 भैरू बेटे कालू हिस्सा 1/2 दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की नकलें भी संलग्न हैं परन्तु इन दस्जावेजात पर प्रदर्श नम्बर नहीं किये गये हैं ।

15. परीक्षण न्यायालय में वादी मृतक मथुरा लाल के द्वारा एक दावा विभाजन एवं हक घोषणा का पेश किया गया कि सेटलमेंट के उपरान्त वादग्रस्त आराजी के 12 किता का रकबा 13.09 हैक्टर आराजी कायम किया गया जिसमें त्रुटिपूर्ण रूप से वादी का नाम हटा दिया गया जबकि इस आराजी में वादी और प्रतिवादी कम 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा था । प्रतिवादी कम 5 और 6 प्रतिवादी कम 7, 8 और 9 का 1/2 हिस्सा प्रत्येक का 1/10 हिस्सा बनता है । संशोधित वादपत्र में ग्राम हरिपुरा की आराजी में 1/5 हिस्से के हक घोषणा एवं विभाजन की प्रार्थना की है ।

16. जवाबदावा गुलाब चन्द पुत्र कान्हा, नन्दकिशोर पुत्र कान्हा, रामकरण व जगदीश उर्फ भीमा पुत्र आनन्दी लाल का संलग्न है जिसमें दावे को स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की गई है । दुर्गाशंकर प्रतिवादी कम 09 का जवाबदावा भी पत्रावली पर संलग्न है जिनके द्वारा भी दावे को स्वीकार करने में अनापत्ति व्यक्त की गई है । न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय की प्रति पत्रावली पर संलग्न है जिसमें अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर गत रकबे के अनुसार ग्राम लक्ष्मीपुरा एवं ग्राम हरिपुरा की आराजी को दुरूस्त करते हुए दोनों गॉवों की भूमि को शामिल करते हुए पुनः निर्णय पारित करने का निर्देश प्रदान किया है । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 30.03.1992 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जिसके खिलाफ प्राप्त अपील में दिनांक 09.11.2000 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया । इसके उपरान्त परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दिनांक 30.03.2002 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की है जिसमें ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी में प्रत्येक सहखातेदार 1/10 और ग्राम हरिपुरा की आराजी प्रत्येक सहखातेदार को 1/5 हिस्से का सहखातेदार घोषित कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की है और इसके उपरान्त बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की है ।

17. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में सलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2004–07 में वादग्रस्त आराजी नाथू, कान्हा, कृष्णचन्द बेटे कालू हिस्सा 1/2, भैरू आत्मज कालू हिस्सा 1/2 दर्ज है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2018–21 में वादग्रस्त आराजी भैरू वल्द कालू हिस्सा 1/2 नाथू, कान्हा, कृष्णचन्द पिसरान कालू हिस्सा 1/2 दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2024–27 प्रदर्श– 1 में ग्राम लक्ष्मीपुरा की वादग्रस्त आराजी कान्हा, सुरज्या, मथुरा आनन्दी पुत्र भैरू, दुर्गाशंकर पुत्र फूलचन्द नाबालिग वली बरफा दादी हिस्सा 1/2 बराबर और बजरंग लाल, रामकल्याण, देवीशंकर पुत्र नाथूलाल, कन्हैयालाल, कृष्णचन्द पुत्र कालू हिस्सा 1/2 दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2055–58 में ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी कान्हा, सुरज्या, आनन्दा, दुर्गाशंकर वल्द फूलचन्द हिस्सा 1/2 बांट–बराबर रामकल्याण, देवीशंकर पुत्र नाथू अनोखबाई पुत्री बजरंग लाल नाबालिग वली देवीशंकर, कन्हैया लाल, कृष्णचन्द हिस्सा 1/2 दर्ज है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.03.2000 को प्रारम्भिक डिक्री जारी करते हुए ग्राम लक्ष्मीपुरा की आराजी में मथुरा लाल को 1/10 हिस्सा कान्हा के वारिसान को 1/10 हिस्सा, सुरज्या के वारिसान को 1/10 हिस्सा आनन्दा के वारिसान को 1/10 हिस्सा, दुर्गाशंकर पुत्र फूलचन्द को 1/10 हिस्सा, रामकल्याण पुत्र नाथू हिस्सा 1/10, देवीशंकर पुत्र नाथू हिस्सा 1/10, अनोख बाई पुत्री बजरंग लाल हिस्सा 1/10, कन्हैया लाल के कायममुकामान को हिस्सा 1/10 और कृष्ण चन्द के कायममुकामान को भी हिस्सा 1/10 का सहखातेदार घोषित करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की

गई है जबकि नकल जमाबन्दी संवत् 2004–07 और नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2018–21 के अनुसार नाथू लाल के समस्त वारिसान का 1/6 हिस्सा कान्हा पुत्र कालू के वारिसान का 1/6 हिस्सा, कृष्ण चन्द के वारिसान का 1/6 हिस्सा और मथुरा लाल का 1/10 हिस्सा, कान्हा पुत्र भैरू के वारिसान का 1/10, सुरज्या के वारिसान का 1/10, अनन्दा के वारिसान का 1/10 और दुर्गाशंकर पुत्र फूलचन्द का 1/10 हिस्सा होना चाहिए । इन तथ्यों के आधार पर हम यह उचित समझते हैं कि परीक्षण न्यायालय पुरानी जमाबन्दी और हाल जमाबन्दियों का अध्ययन कर नये सिरे से राजस्व रिकॉर्ड में प्रत्येक सहखातेदार के निहित सही हिस्से को निर्धारित करते हुए विभाजन की पुनः प्रारम्भिक डिक्री जारी करें और तद्नुसार राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री जारी करने ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2017/00586 एवं 2017/00587 एवं कॉस–ऑब्जेक्शन आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.03.2002 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.08.2002 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 17 में किये गये विवेचन के मध्य नजर राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर नये सिरे से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों का सही रूप से विनिश्चय करते हुए पक्षकारों के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी करें । तद्नुसार राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन की अंतिम डिक्री जारी करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

19. निर्णय आज दिनांक 03.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/9/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा